तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 163/2025 अनवान गोटाराम बनाम पदमाराम वगैरा**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
05/08/25	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा नया भुरटिया, पटवार हल्का भुरटिया, तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 142 रकबा 3.6584 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1101/1052 रकबा 1.9252 हैक्टेयर, भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 02 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तु नही किया। लिहाजा वकील अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा नया भुरटिया, पटवार हल्का भुरटिया, तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 142 रकबा 3.6584 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1101/1052 रकबा 1.9252 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 [illegible] नजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार [illegible] सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा [illegible] जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Yas[illegible]th Shekhar Date: 2025.10.25 12:58:21 IST Reason: SelfAttested उप खण्ड अधिकारी बाडमेर	